<u>कार्यालय, जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक बून्दी</u>

<u>कार्यालय आदेश</u>

श्रीमान् निदेशक,माध्यमिक शिक्षा राजस्थान,बीकानेर के पत्र क्रमांक–: शिविरा–मा. /संस्था/एफ–1/ 12102/ पीटीआई–2011/एन.जे/ दिनांक 04.01.2022 के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग,अजमेर द्वारा भर्ती परीक्षा 2011 के अन्तर्गत शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड–III के पद पर कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के विरूद्व चयनोपरान्त नियुक्ति/पदस्थापन स्थान देने हेतु बून्दी जिला आवंटित किए जाने के फलस्वरूप माननीय न्यायालय में विचाराधीन एस.बी.सिविल याचिका संख्या– 17195/2013 नरेन्द्र शर्मा व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 14.01.2016 के क्रम में (अवमाननावाद 631/16 कपिल हरितवाल बनाम श्री नरेशपाल गंगवार व अन्य) व वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, माध्यमिक शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग, जयपुर के पत्र दिनांक 17.11.2021 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा डी.बी स्पेशल अपील संख्या–997/2016 राज. राज्य व अन्य बनाम सुभाष चन्द्र व अन्य तथा 15 अन्य समान अपीलों में पारित समेकित निर्णय दिनांक 21.01.2020 के विरूद्व माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर विशेष अनुमति याचिका संख्या 9974–9989/2020 को विड्रो (WITHDRAW) किये जाने का राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक निर्णय लिये जाने के फलस्वरूप जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक विधि जयपुर के पत्रांक जिशिअ/मा/विधि/जय/एस.6/2021/789–92 दिनांक 29.11.2021 द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.11.2021 द्वारा प्रकरण में राज्य सरकार द्वारा चाही गई याचिका विड्रो(WITHDRAW) करने की अनुमति को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार कर याचिका विड्रो (WITHDRAW) के आधार पर खारिज कर संलग्न सूची मे विवरणांकित आशार्थियों को शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड III के पद पर राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम–2017 के अनुसार वेतन लेवल–10 में प्रोबेशनर ट्रेनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में 2वर्ष के प्रोबेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय 23700–/रू पर नियुक्ति/पदस्थापन वर्णित निर्देशानुसार दिनांक 10.01.2022 को आयोजित परामर्श शिविर (काउन्सलिंग) में स्वयं आशार्थियों द्वारा प्रस्तुत सहमति/विकल्प पत्र में वर्णित पदस्थान पर नियुक्ति दी जाकर उनके नाम के सम्मुख अंकित विद्यालय में रिक्त पद पर पदस्थापित किया जाता है। संबंधित चयनित अभ्यार्थी नियुक्ति पदस्थापन स्थान पर दिनांक 31.01.2022 तक अनिवार्यतः कार्यग्रहण करेगें। उक्त दिनांक तक कार्यग्रहण नहीं करने पर यह आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।

<u>**सम्बन्धित संस्थाप्रधन अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करवाने से पूर्व निम्नांकित कार्यवाही अपने स्तर पर आवश्यक रूप से सम्पादित करेंगे :–**</u>

01. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यार्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र संबंधी सदाचरण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना अनिवार्य है <u>**इनके अभाव में किसी भी अभ्यार्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जायेगा।**</u> पूर्व में राजकीय सेवारत कार्मिको हेतु यह आवश्यक नही होगा।
02. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1)डीओपी/ए–II/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यार्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बंधी आशय का आवश्यक शपथ पत्र 50/–रू के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्राप्त करें।
03. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने सम्बंधी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है तो तत्सम्बन्धी आशय का 50/– रू का नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त करें।
04. अभ्यार्थी द्वारा दहेज नहीं लिये जाने का स्व–घोषणा पत्र 50/– रू के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त करें।
05. अभ्यर्थियो से दो राजपत्रित अधिकारियो द्वारा जारी चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करें।

06. अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करवाने से पूर्व 50/–रू के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र प्राप्त करेंगे कि यदि अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक/प्रशैक्षिक योग्यता व अन्य आवश्यक दस्तावेज/ प्रमाण पत्र त्रुटिपूर्ण, जाली अथवा कूटरचित पाई गई तो उनकी नियुक्ति निरस्त करने व उनके विरूद्व कानूनी कार्यवाही करने संबंधित अधिकारी विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।

07. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोबेशनर ट्रैनी) की अवधि में फिक्स रेमुनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षति पुर्ति भत्ता, महंगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नही होगा।

08. परिविक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में कलेण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश वित विभाग के आदेश कमांक एफ–12(9) एफ.डी.(रूल्स) 2017 जयुपर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार देय होगा।

09. परिविक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्वि के लिए गणना योग्य नहीं माना जावेगा।

10. वित विभाग के आदेश कमांक एफ–12(9) एफ.डी(रूल्स)2017 दिनांक 30.10.2017 के अनुसार प्रोबेशनर ट्रेनी के फिक्स रेमुनरेशन से नवीन पेंशन अंशदान की कटौती नियमानुसार होगी।

11. चयनित अभ्यर्थियों के कार्यग्रहण से पूर्व उनकी पात्रता, आयु एवं आरक्षण संबंधी समस्त दस्तावेजो की जांच आवश्यक रूप से करें।

12. चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड–III भर्ती परीक्षा 2011 के संबंध में माननीय न्यायालय में दायर विभिन्न याचिकाओं में पारित निर्णयों/आदेशों के अध्यधीन रहेगी।

13. अभ्यर्थियों के नाम/पिता का नाम/ स्थाई पते में सहवन से कोई त्रुटि रह गई है तो उन प्रकरणों में अभ्यार्थी के आवेदन पत्र एवं संलग्न प्रमाण पत्रों से मिलान कर अपने स्तर पर उसे दुरस्त करें।

14. अभ्यर्थियों को कार्यग्रहण करवाने से पूर्व कार्मिक विभाग की अधिसूचना कमांक प. 7(3)कार्मिक/क–2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान/मद्यपान एवं गुटखा सेवन नही करने संबंधि वचनबंधता (Undertaking) प्राप्त किया जावें।

15. जिन अभ्यर्थियों की बी.पी.ई (तीन वर्षीय पाठ्यकम) की प्रशैक्षिक योग्यता धारित करते हैं, उनकी तत्समय एन.सी.टी.ई से मान्यता नहीं होने के कारण नियुक्ति के पात्र नही माने जायेंगे। यदि किसी भी अभ्यार्थी को नियुक्ति दे दी गई है तो उन्हें कार्यग्रहण नहीं करवाकर उनका मूल आवेदन पत्र इस कार्यालय को लौटा दिया जावें।

16. संबंधित संस्थाप्रधान कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यार्थी का मूल आवेदन पत्र एवं नियुक्ति आदेश पर चस्पा छाया चित्र (फोटो) से मिलान कर यह सुनिश्चिता कर ली जावे कि वही अभ्यार्थी नियुक्ति प्राप्त करें जिसका आवेदन पत्र पर छाया चित्र (फोटो) चस्पा है।

नोटः– कम संख्या 2 व 3 पर अंकित अभ्यार्थी द्वारा दिनांक 10.01.2022 को आयोजित परामर्श शिविर में अनुपस्थित रहने पर विभाग के निर्देश बिन्दु संख्या 19 के अनुसार प्रकाशित रिक्तियों में शेष रही रिक्तियों पर नियुक्ति/पदस्थापन आदेश जारी किए गए हैं। अनुपस्थित अभ्यार्थी पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करने से पूर्व इस कार्यालय में उपस्थित होकर दस्तावेज सत्यापन करवाने पश्चात् ही पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करेंगे।

(सतीश कुमार जोशी)
जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक बून्दी

22/10/1/22 कमांक :– जिशिअ/मु0मा0/बू/संस्था–I/शा0प्र0अ0/ग्रेड–III/2022/22
दिनांकः–10.01.2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

01. श्रीमान् सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
02. श्रीमान् संयुक्त शासन सचिव, शिक्षा (ग्रुप–2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
03. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी,माध्यमिक शिक्षा (विधि प्रकोष्ठ) विभाग, राजस्थान सरकार , जयपुर।
04. श्रीमान् निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर।
05. श्रीमान् संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) कोटा संभाग कोटा।
06. श्रीमान् मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी बून्दी।
07. संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ....।
08. संबंधित संस्थाप्रधान राउमावि/मावि..।
09. संबंधित कार्मिक..।
10. अति. प्रशा. अधि.,वरिष्ठता अनुभाग इस कार्यालय।
11. रक्षित पत्रावली।

जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक बून्दी

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक बून्दी

क्रमांक :– जिशिअ/मु०मा०/बू/संस्था–1/शा०प्र०अ०/ग्रेड–III/2022/22 दिनांक:–10.01.2022

शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक ग्रेड–III के पद पर राजस्थान लोक सेवा आयोग,अजमेर द्वारा भर्ती परीक्षा 2011 के अन्तर्गत कार्यग्रहण नहीं करने वाले अभ्यर्थियों के विरूद्व चयनोपरान्त नियुक्ति/पदस्थापन स्थान आदेश जारी।

S.no	फोटो	Merit_No	Roll No	Name	F_Name	वरीयता श्रेणी	DOB	Sele.Cat.	H.Cat.	Own Cat.	पदस्थापन स्थान	ब्लॉक
1		1302-A	500243	JYOTI JAIN	PADAM KUMAR JAIN	महिला अभ्यर्थी	04-10-82	GENF		GE,WE	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL PAPDI (221572), K.PATAN (08230205002)(KESHORAIPATAN (SC))	K.PATAN
2		852-B	500805	SATYAVRAT SHARMA	HARI NARAYAN SHARMA	पुरूष अभ्यर्थी	19-12-79	GENM		GE	GOVT. SENIOR SECONDARY SCHOOL CHADI (221597), K.PATAN (08230215102)(KESHORAIPATAN (SC))	K.PATAN
3		891-A	501189	SHAILENDRA SHAL SINGH SOLANKI	BHAGWAN SINGH SOLANKI	पुरूष अभ्यर्थी	15-07-84	GENM		GE	GOVT. SECONDARY SCHOOL KOTA KHURD (221616), K.PATAN (08230224301)(KESHORAIPATAN (SC))	K.PATAN
4		1566-B	501744	MANMAL MEENA	KAALU LAL	पुरूष अभ्यर्थी	01-07-86	STM		ST	GOVT. SECONDARY SCHOOL LALPURA (222314), BUNDI (08230505602)(BUNDI)	BUNDI

नोटः– 01. नियुक्ति आदेश की क्रम संख्या 2 व 3 पर अंकित अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 10.01.2022 को आयोजित परामर्श शिविर में अनुपस्थित होने पर विभाग के निर्देश बिन्दु संख्या 19 के आधार पर प्रकाशित शेष रिक्तियों में से नियुक्ति/पदस्थापन किया गया है।

02. अनुपस्थित अभ्यर्थी इस कार्यालय में अपने दस्तावेजो का सत्यापन कराने के उपरान्त ही पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण करेंगे।

(सतीश कुमार जोशी)
जिला शिक्षा अधिकारी
(मुख्यालय) माध्यमिक बून्दी